राष्ट्रीय बायोगैस कार्यकम

- भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना का प्रारम्भ प्रदेश में वर्ष 1981–82 में हुआ।

- यह कार्यकम भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रतिवर्ष चलाया जाता हैं।

- बायोगैस संयंत्रों का निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था वर्ष 2014–15 में निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा की गयी है:–

क्रमांक	संयंत्र की क्षमता/मद	अनुदान की राशि (रू0)
1	1 घ0मी0	सामान्य – 5500/– एससी/एसटी–7000/–
2	2, 3, 4, 6 घ0मी0	सामान्य – 9000/– एससी/एसटी–11000/–
3	शौचालय युक्त संयंत्र	रू0 1200/–अतिरिक्त
4	टर्नकी जॉब फीस	रू0 1500/–प्रति संयंत्र

- यह एक ऐसी विधि है जिससे उत्पन्न गैसीय उत्पादों को घरेल् उपयोग यथा खाना पकाने, रोशनी आदि के लिये किया जाता है।

- इसके प्रयोग से लकड़ी के ईंधन की बचत होती है साथ ही रसोई में धुआं न उत्पन्न होने के कारण महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।

- यह कार्बनिक खाद उत्पन्न करता है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

- अनुश्रवण– योजना की प्रगति का आनलाइन अनुश्रवण विभाग की वेबसाइट–rd.up.nic.in के माध्यम से किया जाता है